न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 21/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		राजाराम शर्मा पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी म.नं. 164/क हनुमान चौक, जायल जिला नागौर। फर्म–मैसर्स महावीर किराणा स्टोर, पोस्ट ऑफिस के सामने, सदर बाजार, जायल।

आदेश दिनांक :25.03.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 28-10-2020 को मैसर्स महावीर किराणा स्टोर, पोस्ट ऑफिस के सामने, सदर बाजार जायल जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ चिली पाउडर (Taparia ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1376 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 390/एक्ट/2020/178 दिनांक 01.11.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना चिली पाउडर (Taparia ब्राण्ड) The Product is Not Marketable as it sold after Best Before Date होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त राजाराम शर्मा पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी म.नं. 164/क हनुमान चौक, जायल जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 27 उप धारा 3(क) एवं धारा 31(2) व दण्डनीय धारा 58 का उल्लंधन किया है, जो कि खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 04-02-2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब दिनांक 25.03.2021 को पेश किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि दिनांक 28.10.20 को खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (तापडिया) का नमूना क्रमांक क्यू 1376 खाद्य सुरक्षा अधिनियम मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत वास्ते विश्लेषणार्थ लिया गया था। जो कि पुरानी पायी गयी थी। जो कि प्रोडेक्ट इस नोट माक्रेटेबल एक इड सोल्ड ऑफ्टर बेस्ट बिफोर डेट पाया गया है। इस बाबत मेरा निवेदन है कि भविष्य मे ऐसी गलती नही होगी और पुराना माल नही रखूगा न ही इस बाबत किसी प्रकार शिकायत का मौका दूॅगा। मै छोटा दुकानदार हूॅ और मेरी पहली गलती मानकर मेरे को माफ करने का आदेश करावे। भविष्य मे किसी प्रकार की गलती नही करूंगा और शिकायत का मौका नही दूॅगा। कम से कम जुर्माना लगाने का आदेश करावे।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 390/एक्ट/2020/178 दिनांक 01.11.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ चिली पाउडर (Taparia ब्राण्ड) का नमूना The Product is Not Marketable as it sold after Best Before Date पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा भी अपने जवाब में अपना जुर्म स्वीकार स्वीकार किया है। अतः अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 27 की उप धारा 3(क) एवं 31(2) एवं धारा 58 का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अप्रार्थी राजाराम शर्मा पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी म.नं. 164/क हनुमान चौक, जायल जिला नागौर पर रूपये 30,000/– अक्षरे तीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)